FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

...लत.. मुकाम..

बाबूराम .... बनाम .... नैनाराम वगैरा

...कस्म मुकदमा ...... राजस्व वाद ...... नं. ...... 14 ...... सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/2/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/3/2020 को पेश हो। [signature] 18.2.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
18/03/2020	वादी वकील उपस्थित/ प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील होकर तामील अप्राप्त/ इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 27/04/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
27/04/2020	पत्रावली आज पेश हुई। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील [illegible] कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं [illegible] गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त होने [illegible] होकर आगामी दिनांक 24/06/2020 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म

1/03/2021

24/06/2020 पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-19 के चलते कोई नहीं लिया गया। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 23/09/2020 को पेश हो।

23/09/2020 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 28/10/2020 को पेश हो।

28/10/2020 वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगणों के समन तामील हुए / तामील अभाव। वादी वकील प्रतिवादीगणों का समन तलबाना पुनः पेश करे, पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 14/12/20 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

14/12/2020 वादी वकील उपस्थित / वादी वकील द्वारा दर्ज आदेशिका की पालना नहीं की गई, पालना करना चाहते हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/01/2021 को पेश हो।

27/01/2021 वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री [illegible]राम [illegible] द्वारा वकालतनामा पेश किया [illegible] पत्रावली [illegible] किया गया। श्रीमान पीठासीन [illegible] व्यस्त रहने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/03/2021 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/03/2021	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा पूर्व आदेशिका की पालना नहीं की गई। चूंकि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 07/06/2021 को पेश हो।	
07/06/2021	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा पूर्व आदेशिका की पालना नहीं की गई, कार्यवाही करना चाहते हैं। चूंकि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 06/09/2021 को पेश हो।	
06/09/2021	वादी व प्रतिवादी संख्या-1 से 3 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब मय प्रतिदावा पेश किया गया जिसकी प्रति वादी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 20/09/2021 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
20/09/2021	पत्रावली प्रस्तुत [illegible] उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य [illegible] स्वयं PW-1 - बाबूराम [illegible] जाति- ढाढी व स्वतंत्र गवाह PW-2 - प्रकाश पुत्र देवाराम जाति- ढाढी निवासी- राजबेरी मलबा के शपथ पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली	ह. बाबूराम प्रकाश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	किया गया। प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1- नैनाराम पुत्र भीखाराम जाति- ढाढी निवासी-राजबेरी मलबा, DW-2- राजूराम पुत्र नैनाराम जाति- ढाढी निवासी- राजबेरी मलबा तथा स्वतंत्र गवाह DW-3- बाबूराम पुत्र श्री सताराम जाति- जाट निवासी- मलवा पालावतान (घाटापट) का शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। वादी व प्रतिवादी साक्ष्य बन्द किये जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 27/09/21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	नैनाराम राजूराम बाबूराम
27/09/21	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या-2 व 3 का प्रतिदावा स्वीकार किये जाकर वाद डिक्री किया जाकर [illegible] अलग से लिखा जाकर [illegible] गया। डिक्री पर्चा जारी होकर, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज रजिस्टर होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 14/2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. बाबुराम पुत्र नैनाराम जाति–ढाढी, निवासी–राजबेरी मलवा, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर		1. नैनाराम पुत्र भीखाराम 2. अमरराम पुत्र नैनाराम 3. राजूराम पुत्र नैनाराम जातियान्–ढाढी, निवासीयान्–राजबेरी मलवा, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर 4. उप पंजीयक गिड़ा 5. तहसीलदार गिड़ा

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.</u>

उपस्थित :–

1. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील वादी
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादीगण

–: निर्णय :– **दिनांक** : 27/9/2021

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पैतृक व संयुक्त कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा मलवा उतराद पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 97/24 रकबा 14.17 बीघा व मौजा राजबेरी मलवा पटवार मण्डल खारापार तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 58/3 रकबा 43. 15 बीघा में आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही पूर्वज के वंशज है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही [illegible] अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भू[illegible] के साथ 1/4 हिस्से के सहखातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं [illegible] न्यायालय में पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा उपस्थित होकर, जवाब मय प्रतिदावा लिखित में पेश कर, वादी

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 को 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादी वकील द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र PW 1 व स्वतंत्र गवाह के रूप में PW 2 प्रकाश पुत्र देवाराम के शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादी वकील द्वारा साक्ष्य के रूप में DW 1 नैनाराम पुत्र भीमाराम, DW 2 राजूराम पुत्र नैनाराम तथा स्वतंत्र गवाह के रूप में DW 3 बाबुराम पुत्र सताराम के शपथ पत्र पेश किये गये।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 भीखाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का जवाब प्रतिदावा स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा मलवा उतराद पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 97/24 रकबा 14.17 बीघा व मौजा राजबेरी मलवा पटवार मण्डल खारापार तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 58/3 रकबा 43.15 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

27/9/21

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 27/9/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/9/21

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादी — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादी

1. बाबुराम पुत्र नैनाराम
   जाति–ढाढी,
   निवासी–राजबेरी मलवा,
   तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नैनाराम पुत्र भीखाराम
2. अमराराम पुत्र नैनाराम
3. राजूराम पुत्र नैनाराम
   जातियान्–ढाढी,
   निवासीयान्–राजबेरी मलवा,
   तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर
4. उप पंजीयक गिड़ा
5. तहसीलदार गिड़ा

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–14 / 2020. **निर्णय दिनांक :–** 27/9/2021

वादी की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27/9/2021 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का जवाब प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर मौजा मलवा उतराद पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 97 / 24 रकबा 14.17 बीघा व मौजा राजबेरी मलवा पटवार मण्डल खारापार तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 58 / 3 रकबा 43.15 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

27/9/21

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested